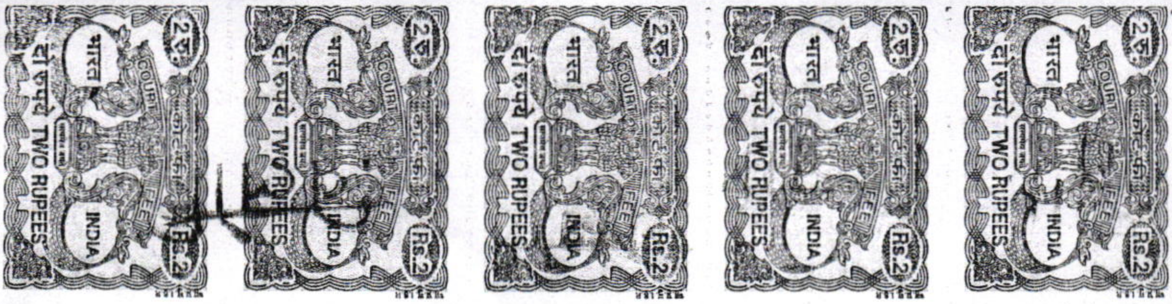

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक /2015 नि0/3131/II/15

1. रज्जाक पिता गांजी मुंसलमान,
2. कुमारी दुरलंजुआ जौजे सकूर मोहम्मद,
3. नसीरून्निशा जौजे नशीरूद्दीन,
4. सुबराती तनय सकूर मौहम्मद
5. अब्दूल मजीद तनय सकूर मौहम्मद
6. सत्तार बक्स तनय सकूर मौहम्मद
7. सब्बीर मोहम्मद तनय सकूर मौहम्मद

सभी निवासी ग्राम बल्हया, तहसील सिंहावल, जिला सीधी म0प्र0

-- आवेदकगण

बनाम

रहमत पिता गांजी मुसलमान, निवासी ग्राम बल्हया, तहसील सिंहावल, जिला सीधी म0प्र0

-- अनावेदक

श्री सुनील सिंह पाण्डेय द्वारा आज दि. 16/9/15 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के विरूद्ध तहसील सिहावल, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 69-अ/70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 के विरूद्ध।

16/9/15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग./3131/दो/15 रज्जाक बनाम रहमत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.06.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन तथा अनावेदक के अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना तथा प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार सिंहावल जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 69/अ-70/14-15 में पारित आदेश पत्र का दिनांक 10/09/15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश पत्रिका में केवल पक्षकारों को सुनवाई हेतु सूचना पत्र दिये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता या अनियमितता नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। सदस्य	